वित्तीय स्वीकृति

संख्या-19/2022/2347/52-3-22-बजट (5)/2018-3099/1004/2020

प्रेषक,

गुलाब सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 28 दिसम्बर, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मासिक वेतन आदि के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3518/अ0सं0क0नि0-26/लेखा/बजट-प्रा0/2022-23, दिनांक 15 नवम्बर, 2022 व पत्र संख्या-3914/अ0सं0क0नि0-26/लेखा/बजट-प्रा0/2022-23, दिनांक-07/12/2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के मासिक वेतन आदि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 94462.36 लाख के सापेक्ष अब तक रू0 **62974.90 लाख (रू0 छः अरब उनत्तीस करोड़ चौहत्तर लाख नब्बे हजार मात्र)** की धनराशि निर्गत की गयी। उक्त स्वीकृत धनराशि सापेक्ष कोषवाणी के अनुसार दिनांक-07.12.2022 तक रू0 57502.80 लाख का व्यय किया जा चुका है तथा धनराशि रू0 5472.10 लाख व्यय हेतु शेष है। उक्त व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए रू0 25000.00 लाख **(रू0 दो अरब पचास करोड़ मात्र)** की धनराशि स्वीकृत करने का अनुरोध निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय व्ययक) अनु0-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 के प्रस्तर-2 (6) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सहायता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों के शिक्षकों/शिक्षणेतर कर्मचारियों के मासिक वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 के लेखानुदान में प्रावधानित धनराशि रू0 94462.36 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 31487.46 लाख में से धनराशि रू0 25000.00 लाख **(रू0 दो अरब पचास करोड़ मात्र)** निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत कर आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) कोषागार से धनराशि का आहरण मासिक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाक घर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) वेतन हेतु स्वीकृत धनराशि से केवल शासन द्वारा अनुमोदित पदों के वेतन आदि का ही भुगतान किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि से किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण/उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को दिनांक-31 .03.2023 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) धनराशि का आवंटन (एलॉटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) उक्त वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि निदेशक/रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित मदरसों को अनुदान की धनराशि तभी निर्गत की जायेगी, जब वह मदरसे के संबंध में नियमों/शासनादेशों के अन्तर्गत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समस्त मानकों की पूर्ति संबंधी प्राविधानों के अनुपालन की स्थिति से संतुष्ट हो लेंगे।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा- 01 - प्रारम्भिक शिक्षा-800 अन्य व्यय- 03- अरेबिया पाठशालाओं को अनुदान-31- सहायता अनुदान- सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07.06.2022 में निहित प्रावधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2347(1)/52-3-22, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ०प्र०. प्रयागराज।

2-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0. प्रयागराज।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

4-रजिस्ट्रार, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, 704. जवाहर भवन, लखनऊ।

5-वित्त (ई-4) अनुभाग / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1(02 प्रतियों में) / नियोजन अनुभाग-3

6-अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा में,

(गुलाब सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।